

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प03/2018/79

दिनांक : 05/10/2018

—: आदेश :—

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम-1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर वेतनमान लेवल-14 में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30/10/2017 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 39300/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनको निदेशालय के आदेश क्रमांक 70 दिनांक 05.09.18 के द्वारा पदस्थापन किया गया था, परन्तु निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के द्वारा कार्यग्रहण की निर्धारित अवधि तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनकी नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाते हैं :-

S. NO	DISTRICT	PLACE	INSTT	NAME OF DOCTOR	SEX	CAT	SELC AG	DOB
1	DUNGARPUR	AASPUR	CHC	DIMPY	F	GEN	UR	13-07-91
2	DHOLPUR	DHOLPUR	D.HOSP	SMITA GUPTA	F	GEN	UR	29-08-89

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प03/2018/79

दिनांक : 05/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित/जिला कलक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।